



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड-25] रुड़की, शनिवार, दिनांक 15 जून, 2024 ई0 (ज्येष्ठ 25, 1946 शक सम्वत्) [संख्या-24

विषय—सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग-अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग-अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य ...	—	रु0 3075
भाग 1—विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	545-546	1500
भाग 1—क—नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	229-233	1500
भाग 2—आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण ...	—	975
भाग 3—स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	—	975
भाग 4—निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड ...	—	975
भाग 5—एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड ...	—	975
भाग 6—बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटीयों की रिपोर्ट ...	—	975
भाग 7—इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां ...	—	975
भाग 8—सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	157	975
स्टोर्स पर्वेज—स्टोर्स पर्वेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	—	1425

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

न्याय अनुभाग-3

अधिसूचनानियुक्ति

05 जून, 2024 ई0

संख्या 164/XXXVI-A-3/2024-208/01-T.C.-I-कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम-1984 (अधिनियम संख्या-66 सन् 1984) की धारा-4 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल, मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल की सहमति से, न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय-प्रथम, उधमसिंहनगर को अपने इस पद पर कर्तव्यों के निर्वहन के अतिरिक्त, न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय-द्वितीय, उधमसिंहनगर के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियुक्त करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,
प्रदीप पन्त,
प्रमुख सचिव।



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 15 जून, 2024 ई0 (ज्येष्ठ 25, 1946 शक सम्वत्)

भाग 1-क

नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND AT NAINITAL

NOTIFICATION

May 20, 2024

No.225/UHC/Admin.A-2/2024

Shri Dharmendra Singh Adhikari, 3rd Additional District & Sessions Judge, Dehradun is directed to continue the earlier assigned charge of CBI Court, Dehradun for whole of Uttarakhand, in addition to his present duties.

He shall also continue the charge of office of the Secretary Lokayukata, Uttarakhand Dehradun, in addition to his present duties.

No.226/UHC/Admin.A-2/2024

Ms. Meena Deopa, 2nd Additional District & Sessions Judge, Udham Singh Nagar is directed to continue the earlier assigned charge of Gangster Act, Udham Singh Nagar, in addition to her present duties.

No. 227/UHC/Admin.A-2/2024

Shri Ajay Dungrakoti, Additional District & Sessions Judge, Rudraprayag is transferred and posted as 1st Additional District & Sessions Judge, Rishikesh, District Dehradun in the vacant Court.

No.228/UHC/Admin.A-2/2024

The Chief Judicial Magistrate, Champawat shall have the additional charge of the Court of Civil Judge (Sr. Div.), Champawat until regular posting of Civil Judge (Sr. Div.) Champawat or till further orders, whichever is earlier, in light of the provisions of Notification No. 179/Nyay Anubhag/2001 dated 17th March, 2001.

No.229/UHC/Admin.A-2/2024

Shri Sandeep Singh Bhandari, 1st Additional Chief Judicial Magistrate, Dehradun is directed to continue earlier assigned charge of CBI cases, in addition to his present duties.

No.230/UHC/Admin.A-2/2024

Civil Judge (Jr. Div.), Vikasnagar, District Dehradun is directed to hold Camp Court at Chakrata (Dehradun) for 03 days in a month until regular posting of Presiding Officer in said Court or till further order, whichever is earlier.

No.231/UHC/Admin.A-2/2024

Civil Judge (Jr. Div.), Lansdowne, District Pauri Garhwal is directed to hold Camp Court at Dhumakot, District Pauri Garhwal for 02 days in a month until regular posting of Presiding Officer in said Court or till further order, whichever is earlier.

No.232/UHC/Admin.A-2/2024

Civil Judge (Jr. Div.), Tehri Garhwal is directed to hold Camp Court at Pratap Nagar, District Tehri Garhwal for 03 days in a month until regular posting of Presiding Officer in said Court or till further order, whichever is earlier.

No.233/UHC/Admin.A-2/2024

Civil Judge (Jr. Div.), Didihat, District Pithoragarh is directed to hold Camp Court at Dharchula, District Pithoragarh for one week in a month until completion of Foundation Training of Shri Naveen Rana, Civil Judge (Jr. Div.), Dharchula, District Pithoragarh.

Note:

- (A) Recommendation is being sent to the State Government to give additional charge of office of the Presiding Officer, Food Safety Appellate Tribunal, Haldwani, District Nainital to District Judge, Nainital with the direction to preside over the Tribunal for half day on every working Saturdays.
- (B) Recommendation is being sent to the State Government to give additional charge of Judge, Family Court-II, Udham Singh Nagar to the Judge, Family Court-I, Udham Singh Nagar.
- (C) Recommendation of the name of Shri Manish Mishra, 1st Additional District & Sessions Judge, Dehradun is being sent to the State Government to confer him the powers of Special Judge, *Prevention of Corruption Act*, at Dehradun for Garhwal Region, in addition to his present duties.
- (D) Recommendation of the name of Shri Mahesh Chandra Kaushiwa, 2nd Additional District & Sessions Judge, Dehradun is being sent to the State Government to confer him the powers of Special Judge, *Gangster Act* at Dehradun, in addition to his present duties.
- (E) Recommendation of the name of Shri Shivakant Dwivedi Judge, Family Court, Haridwar is being sent to the Uttarakhand State Legal Services Authority, Nainital to give him the charge of office of the Chairman, Permanent Lok Adalat, Haridwar, in addition to his present duties.
- (F) Recommendation of the name of Shri Madan Ram, 4th Additional District & Sessions Judge, Dehradun is being sent to the State Government to confer him the powers of *NDPS Act* at Dehradun, in addition to his present duties.

By Order of Hon'ble the Chief Justice,
Sd/-

ASHISH NAITHANI,

Registrar General.

**कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी
टनकपुर (चम्पावत)**

आदेश

23 मार्च, 2024 ई0

पत्रांक:-382/पंजीयन निरस्त/2022-23-वाहन संख्या UA016012 (MAXI CAB) मॉडल 2006 चैचिस MA1MB2GAK63H37887 इंजन न0 GA64H55527 इस कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन श्री भूपेन्द्र गोयल पुत्र श्री राजेन्द्र गोयल निवासी-मकान संख्या 246 घ बनबसा टनकपुर चम्पावत के नाम पंजीकृत है। दिनांक 06/03/2024 को वाहन स्वामी द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है) आवेदन किया गया है। वाहन फाईनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है। सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन का चैसिस निरस्त कर कार्यालय में जमा करा दिया गया है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन/चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः सुरेन्द्र कुमार, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी टनकपुर (चम्पावत) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 55(1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 23.03.2024 को वाहन संख्या UA016012 (MAXI CAB) मॉडल 2006 चैचिस MA1MB2GAK63H37887 इंजन न0 GA64H55527 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

आदेश

27 मार्च, 2024 ई0

पत्रांक:-400/पंजीयन निरस्त/2023-24-वाहन संख्या UK03A4820 (Motor Car) मॉडल 2014 चैचिस MA3EWDE1S00693470 इंजन न0 K10BN7330193 इस कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन स्वामी श्री माधो सिंह भण्डारी पुत्र श्री श्याम सिंह निवासी-चन्दनी बनबसा टनकपुर चम्पावत के नाम पंजीकृत है। दिनांक 07/03/2024 को वाहन स्वामी द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है) आवेदन किया गया है। वाहन फाईनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है। सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन का चैसिस निरस्त कर कार्यालय में जमा करा दिया गया है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन/चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः मैं सुरेन्द्र कुमार, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी टनकपुर (चम्पावत) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 55(1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 27.03.2024 को वाहन संख्या UK03A4820 (Motor Car) मॉडल 2014 चैचिस MA3EWDE1S00693470 इंजन न0 K10BN7330193 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

आदेश

28 मार्च, 2024 ई0

पत्रांक:-404/पंजीयन निरस्त/2022-23-वाहन संख्या UK07PA2058 (BUS) मॉडल 2013 चैचिस MAT412285D0E04216 इंजन न0 31E84110308 इस कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर चम्पावत के नाम पंजीकृत है। दिनांक 27/03/2024 को वाहन स्वामी द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है) आवेदन किया गया है। वाहन फाईनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है। सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन का चैसिस निरस्त कर कार्यालय में जमा करा दिया गया है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन/चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः सुरेन्द्र कुमार सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी टनकपुर (चम्पावत) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 55(1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 28.03.2024 को वाहन संख्या UK07PA2058 (BUS) मॉडल 2013 चैचिस MAT412285D0E04216 इंजन न0 31E84110308 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

आदेश

28 मार्च, 2024 ई0

पत्रांक:-410/पंजीयन निरस्त/2022-23-वाहन संख्या UK07PA2029 (BUS) मॉडल 2013 चैचिस MAT412285D0E04181 इंजन न0 31E84109656 इस कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर चम्पावत के नाम पंजीकृत है। दिनांक 27/03/2024 को वाहन स्वामी द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है) आवेदन किया गया है। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है। सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन का चेसिस निरस्त कर कार्यालय में जमा करा दिया गया है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन/चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः सुरेन्द्र कुमार सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी टनकपुर (चम्पावत) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 55(1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 28.03.2024 को वाहन संख्या UK07PA2029 (BUS) मॉडल 2013 चैचिस MAT412285D0E04181 इंजन न0 31E84109656 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

आदेश

28 मार्च, 2024 ई0

पत्रांक:-411/पंजीयन निरस्त/2022-23-वाहन संख्या UK07PA2061 (BUS) मॉडल 2013 चैचिस MAT412285D0E04260 इंजन न0 31E84110283 इस कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर चम्पावत के नाम पंजीकृत है। दिनांक 27/03/2024 को वाहन स्वामी द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है) आवेदन किया गया है। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है। सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन का चेसिस निरस्त कर कार्यालय में जमा करा दिया गया है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन/चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः सुरेन्द्र कुमार सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी टनकपुर (चम्पावत) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 55(1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 28.03.2024 को वाहन संख्या UK07PA2061 (BUS) मॉडल 2013 चैचिस MAT412285D0E04260 इंजन न0 31E84110283 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

आदेश

28 मार्च, 2024 ई0

पत्रांक:-412/पंजीयन निरस्त/2022-23-वाहन संख्या UK07PA2563 (BUS) मॉडल 2015 चैचिस MB1PCEFC5FPCM4887 इंजन न0 FCPZ109565 इस कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर चम्पावत के नाम पंजीकृत है। दिनांक 24/01/2024 को वाहन स्वामी द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है) आवेदन किया गया है। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है। सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन का चेसिस निरस्त कर कार्यालय में जमा करा दिया गया है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन/चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः सुरेन्द्र कुमार सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी टनकपुर (चम्पावत) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 55(1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 28.03.2024 को वाहन संख्या UK07PA2563 (BUS) मॉडल 2015 चैचिस MB1PCEFC5FPCM4887 इंजन न0 FCPZ109565 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

आदेश

28 मार्च, 2024 ई0

पत्रांक:-413/पंजीयन निरस्त/2024-25-वाहन संख्या UK07PA2558 (BUS) मॉडल 2015 चैचिस MC1PCEFC4FOCM5884 इंजन न0 PCZ110740 इस कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर चम्पावत के नाम पंजीकृत है। दिनांक 27/03/2024 को वाहन स्वामी द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है) आवेदन किया गया है। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है। सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन का चैसिस निरस्त कर कार्यालय में जमा करा दिया गया है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन/चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः सुरेन्द्र कुमार सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी टनकपुर (चम्पावत) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 55(1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 28.03.2024 को वाहन संख्या UK07PA2558 (BUS) मॉडल 2015 चैचिस MC1PCEFC4FOCM5884 इंजन न0 PCZ110740 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

आदेश

30 मार्च, 2024 ई0

पत्रांक:-421/पंजीयन निरस्त/2023-24-वाहन संख्या UK03CA1571 (HGV) मॉडल 2006 चैचिस 373134FTZ122749 इंजन न0 697TC56FTZ127753 इस कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन स्वामी कासिम हुसैन पुत्र श्री कादिर हुसैन निवासी-मनिहारगोठ पोस्ट-टनकपुर जिला चम्पावत के नाम पंजीकृत है। दिनांक 16/03/2024 को वाहन स्वामी द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है) आवेदन किया गया है। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है। सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन का चैसिस निरस्त कर कार्यालय में जमा करा दिया गया है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन/चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः मैं सुरेन्द्र कुमार, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी टनकपुर (चम्पावत) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 55(1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 30.03.2024 को वाहन संख्या UK03CA1571 (HGV) मॉडल 2006 चैचिस 373134FTZ122749 इंजन न0 697TC56FTZ127753 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

आदेश

30 मार्च, 2024 ई0

पत्रांक:-422/पंजीयन निरस्त/2023-24-वाहन संख्या UP290814 (HGV) मॉडल 1990 चैचिस 87VFJ4S207P इंजन न0 B18822SVF इस कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन स्वामी श्री महेन्द्र सिंह पुत्र श्री दान सिंह निवासी-आमबाग, टनकपुर जिला चम्पावत के नाम पंजीकृत है। दिनांक 16/03/2024 को वाहन स्वामी द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है) आवेदन किया गया है। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है। सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन का चैसिस निरस्त कर कार्यालय में जमा करा दिया गया है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन/चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः मैं सुरेन्द्र कुमार, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी टनकपुर (चम्पावत) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 55(1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 30.03.2024 को वाहन संख्या UP290814 (HGV) मॉडल 1990 चैचिस 87VFJ4S207P इंजन न0 B18822SVF को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

सुरेन्द्र कुमार,

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,

टनकपुर (चम्पावत)।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 24 हिन्दी गजट/280-भाग 1-क-2024 (कम्प्यूटर/रीजियो)

मुद्रक एवम् प्रकाशक-अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 15 जून, 2024 ई0 (ज्येष्ठ 25, 1946 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

सूचना

मेरे हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट के शैक्षिक प्रमाण-पत्रों में त्रुटिवश मेरा नाम VASIM KHAN गलत दर्ज हो गया है। जबकि मेरा सही नाम WASIM KHAN है। भविष्य में मुझे WASIM KHAN S/O MOHD NASIM के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

WASIM KHAN S/O MOHD NASIM
निवासी 27/1 वर्ल्ड बैंक कॉलोनी, जमा
मस्जिद सोत स्ट्रीट रुड़की जिला—हरिद्वार।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 24 हिन्दी गजट/280—भाग 8—2024 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक—अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।